प्रेस नोट दिनांक 26.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं धमकी देने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त शुभम सरोज को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बाघराय श्री राकेश चौरसिया के नेतृत्व में थाना बाघराय के उ0नि0 विनोद सिंह यादव मय हमराह पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 64(1)/351(3) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त शुभम सरोज पुत्र बलई सरोज निवासी ग्राम नाथ का पुरवा, काशीपुर डुबकी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को नेशनल हाईवे से गलगली जाने वाले लिंक रोड पर गलगली गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
शुभम सरोज पुत्र बलई सरोज निवासी ग्राम नाथ का पुरवा, काशीपुर डुबकी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष राकेश चौरसिया मय हमराह उ0नि0 विनोद सिंह यादव, स0उ0नि0 राजाराम सिंह, का0 ओम प्रकाश तोमर, का0 सौरभ यादव, का0 सुनील कुमार, का0 शशांक राय, म0का0 मिक्की सिंह थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), कक्ष संख्या-26 द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट (NBW) से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 26.11.2026 को उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह का0 लोकेन्द्र सिंह व का0 संदीप यादव द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मु0नं0 4568/2024 धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित वारंटी अभियुक्त भीमसेन सिंह पुत्र राजपति सिंह निवासी ग्राम नेवादा कला, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को रजवाड़ी चौराहे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. भीमसेन सिंह पुत्र राजपति सिंह निवासी ग्राम नेवादा कला, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह का0 लोकेन्द्र सिंह का0 संदीप यादव थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़